<u>महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-05/2024/10/तीस-3-2024</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2024

विषय दिनांक 23.01.2024 को मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के संबध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सड़क सुरक्षा के प्रति आमजनमानस में जागरूकता लाये जाने हेतु गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर दिनांक 23 जनवरी 2024 को प्रत्येक जनपद में पूर्वान्ह् 11.00 बजे कक्षा 8 से 12 तक के समस्त विद्यालयों के छात्रों एवं उच्च शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मानव श्रंखृला में सम्मिलित कराते हुए सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाना है। उक्त मानव श्रृंखला में सड़क सुरक्षा के समस्त स्टेक होल्डर विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों, एन0जी0ओ0, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, स्काउट गाइड इत्यादि के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी है।

2. उल्लेखनीय है कि मानव श्रंखृला में प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विद्यालयों के अधिकाधिक छात्रों तथा समस्त स्टेक होल्डर विभागों के कार्मिकों द्वारा अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करायी जानी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त समस्त विद्यालयों से लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को मानव श्रंखृला में सम्मिलित कराते हुए समस्त प्रतिभागी सड़क सुरक्षा शपथ भी ग्रहण करेगें। इस कार्यक्रम का आयोजन वृहद रूप से विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्डस में भी सम्मिलित किये जाने हेतु मानव श्रृंखला का निर्माण प्रत्येक जनपद में एक स्थान पर विशालकाय सड़क सुरक्षा के चिन्हों (हेल्मेट, सड़क सुरक्षा मस्कट, ट्रैफिक लाइट, इत्यादि) की स्थायी/कन्वर्टिबिल प्रतिकृति बनाते हुये किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त कार्यक्रम में जनपद में संचालित उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के सापेक्ष विद्यालयों के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सहभागिता वाले तीन जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद)/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को सड़क सुरक्षा माह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र प्रदान कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ उपर्युक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुड सेमेरिटन, सर्वोत्कृष्ट मास्टर ट्रेनर, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले एन0जी0ओ0 तथा स्वयंसेवी संस्था को भी पुरस्कृत कराया जाना है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जागरूक किये जाने हेतु अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/आबकारी/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/यातायात, उ0प्र0।
4. निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/यीडा/उपशा ।
6. प्रमुख अभियंता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
9. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
12. आयुक्त, आबकारी, उ0प्र0।
13. क्षेत्रीय अधिकारी(पूर्वी/पश्चिमी), एन0एच0ए0आई0, उ0प्र0।
14. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
15. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
17. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/प्रवर्तन/राजस्व/आई0टी0)।
18. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
19. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
20. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।
22. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा उ0प्र0।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।